


## न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0) नगर (भरतपुर)

<p style="text-align: center;">तारीख हुक्म</p>	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज  भरतसिंह बनाम सीताराम वगै0  किस्म मुकदमा : 212 आर.टी.एक्ट मु.सं0 90/2016</p>	<p style="text-align: center;">नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुयें।</p>
<p>14.06.18</p>	<p>आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प सुन्दरावली में प्रस्तुत हुई। मजमे आम में सुनवाई की गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी भरतसिंह द्वारा अप्रार्थीगण सीताराम वगै0 के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट अपने मूल वाद के साथ प्रस्तुत किया है।</p> <p>प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 26.09.16 को एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई कि- "वे दिनांक 24.10.16 तक वि.आ.ख.नं. 1494/0.32, 1384/0.62, 1495/0.72, 1510/0.81, 1511/0.57, 1512/0.44, 1823/0.24, 1850/1.33 कुल किता 8 बाकें ग्राम सुन्दरावली तह0 नगर पर मदाखलत मजाहमत नहीं करें, रहन वय मुन्तकिल नहीं करें मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखें। "</p> <p>हमने पत्रावली कैम्प में प्रस्तुत होने से पूर्व न्यायालय में पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस सुनी गई। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं. 2072-75 तक खाता नं. 503 भरतसिंह 1/3 हि0, मानसिंह, सीताराम 2/3 हि0 पि. गिराज कौम गूजर सा.देह खातेदार हि0 भरतसिंह 1/3 राहिन पीएनबी शाखा नगर मुर्त हि0 सीताराम 2/3 राहिन बीआरकेजीबी शाखा नगर मुर्त इ.नं. 2319 फक, 2349 रहन में दर्ज है। इसी तरह से खाता नं 234 के खसरा नं. 1384/0.62 पर झाझन पत्नि भगवानसहाय 2/3 हि0 भरतसिंह पुत्र गिराज 1/3 हि0 कौम गूजर सा.देह खातेदार हि. भरतसिंह 1/3 राहिन पीएनबी शाखा नगर मुर्त , झाझन 2/3 हि0 राहिन आरजीबी शाखा नगर मुर्त इ.नं 2248 रहन तथा खाता नं0 510 के ख.नं. 1495/0.72, 1510/0.81, 1511/0.57, 1512/0.44, 1823/0.24, 1850/1.33 किता 6 रकबा 4.11 पर भरतसिंह सीताराम पिस. गिराज 2/3 हि. सफेदा पत्नि मानसिंह रघुवेन्द्र पुत्र मानसिंह राधा पुत्री मानसिंह ब.हि.ब. 1/3 हि. कौम गूजर सा.देह खातेदार हि. सीताराम 1/3 राहिन बीआरकेजीबी शाखा नगर मुर्त. हि. सुफेदा 1/9 राहिन पीएनबी शाखा नगर मुर्त. इ.नं. 2319 फक 2344 बिश 2349, 2443 रहन दर्ज है। उपरोक्तानुसार बादग्रस्त आराजीयात पर सभी खातेदारान अपने-अपने हिस्से पर काबिज आराजी हैं तथा मौके पर कोई विवाद कब्जे बाबत नहीं होना बताया है। इस तरह से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं।</p>	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0) नगर (भरतपुर)

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज भरतसिंह बनाम सीताराम वगै0 किस्म मुकदमा : 212 आर.टी.एक्ट मु.सं0 90/2016</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुयें।</p>
	<p>अतः आदेश है कि – दिनांक 26.09.16 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की दावे के निर्णय होने तक पुष्टि की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p> (राजवीर सिंह यादव) सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर (भरतपुर)</p>	